17

भारत एक कल्याणकारी राज्य

रामकृष्णन तथा उसका दोस्त अब्दुल चेन्नई से आ रहे थे। दोनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे। जब वे किराए पर टैक्सी लेने के लिए सड़क पार कर रहे थे रामकृष्णन को साइकिल रिक्सा ने टक्कर मार दी। उसे इलाज के लिए तुरन्त ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहाँ डॉ. निर्मला इनके मामले को देख रही थी। चिन्तित अब्दुल ने रामकृष्णन के चाचा को फोन कर दिया तथा उसने अपने परिवार को भी सूचित कर दिया। लगभग 1 घण्टे के बाद डॉ. निर्मला ने अब्दुल से कहा कि चिन्ता की कोई बात नहीं है क्योंकि रामकृष्णन कोई गम्भीर चोट नहीं आई है। तब तक रामकृष्णन के चाचा भी पहुँच चुके थे तथा रामकृष्णन को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। अब्दुल ने गौर किया कि डॉक्टर ने अपनी चिकित्सकीय जाँच के लिए कुछ नहीं लिया तथा दवाइयों के लिए भी नाममात्र का शुल्क लिया गया। उसने रामकृष्णन के चाचा से इसके बारे में पूछा कि यह कैसे सम्भव है? रामकृष्णन के चाचा जो कि एक अध्यापक है, ने कहा कि भारत जैसे कल्याणकारी राज्यों में यह सब करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब अब्दुल के सामने बुनियादी प्रश्न खड़ा हुआ, कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ होता है? आपने भी इसके बारे में समाचार-पत्र अथवा पत्रिका में पढ़ा है या दूरदर्शन पर चर्चा सुनी होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है, तो राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का सन्दर्भ दिया जाता है। क्यों? अब्दुल की तरह, आपके मन में भी अनेक प्रश्न उठते होंगे। इस पाठ में हम भारत के कल्याणकारी राज्य के अनेक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे तथा समझेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- कल्याणकारी राज्य के अर्थ का विश्लेषण कर सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि कैसे भारत एक कल्याणकारी राज्य है;
- भारत के संविधान में राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के समावेश के कारकों की पहचान कर पाएँगे;

- भारत के कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को उपलब्ध कराने में नीति-निदेशक तत्वों के महत्त्व की समीक्षा कर सकेंगे;
- विभिन्न नीति-निदेशक तत्वों की पहचान कर सकेंगे तथा उन्हें वर्गीकृत कर पाएंगे;
- राज्य के नीति-निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के बीच अन्तर कर पाएंगे; और
- कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को साकार करने के लिए नीति-निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण कर सकेंगे।

17.1 कल्याणकारी राज्य क्या है?

बुनियादी प्रश्न का उत्तर पाना आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य क्या है? जैसाकि हमने देखा, भारत को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। विश्व में और भी राष्ट्र हैं, जिन्हें कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। उन्हें ऐसा माना जाता है जबकि अन्यों को नही माना जाता। कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है? यह एक सरकार की ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा धन के उचित वितरण के सिद्धान्तों पर आधारित होता है। यह ऐसे लोगों के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व पर केन्द्रित रहता है, जिन्हें अच्छा जीवन जीने के न्यूनतम साधन भी उपलब्ध नहीं। इस व्यवस्था में नागरिकों का कल्याण की जिम्मेदारी राज्य की होती है। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत एक कल्याणकारी राज्य नहीं था। ब्रिटिश शासन की रूचि लोगों के कल्याण की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने में नहीं थी। उसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता था, वह भारत के लागों के हित में नहीं, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता था।

''भारतीय संविधान के तीसरे भाग में सम्मिलित किए गए मूल अधिकार यह गारंटी प्रदान करते हैं कि सभी भारतीय नागरिक उन नागरिक स्वतंत्रताओं तथा मूलभूत अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो इनके सामने असंख्य समस्याएँ तथा चुनौतियाँ थीं। सामाजिक तथा आर्थिक असमानता सर्वव्यापी थी। आर्थिक रूप से भारत की हालत अत्यन्त दयनीय थी। सामाजिक दृष्टि से भी भारत में अनेक समस्याएँ थीं। व्यापक सामाजिक असमानता थी तथा समाज के कमजोर वर्ग जैसे महिलाएँ, दलित, बच्चे जीवन यापन के बुनियादी साधनों से भी वंचित थे। संविधान निर्माता इन समस्याओं से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। इसी लिए उन्होंने निश्चय किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक ''सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य'' वर्णित किया गया है। तदनुसार, संविधान में भारत के लोगो के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस सम्बन्ध में दो विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, एक मूल अधिकार के रूप में तथा दूसरा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में। ये नागरिक स्वतन्त्रताएँ देश के किसी अन्य कानूनों से श्रेष्ठ हैं। ये सामान्यतः उदार लोकतान्त्रिक देशों के संविधानों में सम्मिलित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं : कानून के समक्ष सामनता, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने और संघ बनाने की स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

परन्तु यह सब पर्याप्त नहीं थे। भारत के नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसरों की भी जरूरत थी। यही कारण है कि भारत के संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समावेश किया गया।

पाठगत प्रश्न 17.1

1. कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं?
2. संवधिान निर्माताओं ने भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्णय क्यों लिया?
3. भारतीय समाज के कम-से-कम दो वर्गों का नाम लिखिए जो प्रचलित सामाजिक आसमानताओं के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित थे।?

17.2 राज्य के नीति निदेशक तत्व

जैसाकि हमने ''मूलाधिकार तथा मौलिक कर्तव्य'' पाठ में देखा, भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक अधिकार मुख्यतः राजनीतिक अधिकार हैं। संविधान निर्माता इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यदि सभी अधिकार को सही मायने में लागू कर दिया जाए तब भी भारत के लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के दिए बिना भारतीय लोकतन्त्र के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन वे उस समय भारत राज्य की कमजारियों को भी जानते थे। उन्हें पता था कि भारत को सदियों के विदेशी शासन के बाद आजादी मिली थी। भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर बड़ा ही निम्न था। उस स्थिति में यदि आर्थिक और समाजिक अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया जाता तो भारत राज्य अपनी कुछ सीमाओं के कारण इनको लागू करने में सफल नहीं हो पाता। परन्तु इन अधिकारों को विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता भी थी। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के नाम से एक अलग अध्याय भाग-चार जोड़कर उस आवश्यकता की पूर्ति की गई।

17.2.1 विशेषताएँ

राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश हैं। कानूनों और नीतियों के निर्माण के समय सरकारों द्वारा इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सही है कि भारतीय संविधान के ये प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि ये किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। परन्तु ये सिद्धान्त देश की सरकारों के लिए मूलभूत माने गए हैं। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि देश मे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए बनाए जाने वाले कानूनों के निर्माण में इन सिद्धान्तों को लागू करे। ये सिद्धान्त आयरलैण्ड के सविंधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धान्तों तथा गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं।

इन सिद्धान्तों का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक दशाओं का निमार्ण करना है जिनकें अन्तर्गत सभी नागरिक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। दूसरे शब्दों में, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है। ये सिद्धान्त आम लोगो के हाथों में

एक मानदण्ड की तरह है, जिनके द्वारा लोग इन उद्देश्यों की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को माप सकें। कार्यकारी एजेन्सियाँ इन सिद्धान्तों से निर्देशित होती हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी विभिन्न मामलों पर निर्णय करते समय इनको ध्यान में रखना होता है।

? क्या आप जानते है

1. राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक सूचिबद्ध किए गए हैं।
2. एक नया निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार और देश के वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा के विषय में राज्य के कर्तव्य का उल्लेख करता है।

पाठगत प्रश्न 17.2

1. खाली स्थान भरिए :

   (क) राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य भारत को एक .... राज्य बनाना है।

   (ब) ये सिद्धान्त भारत की .... के लिए दिशा-निदेश हैं, जिनको उन्हें कानून तथा नीतियों के निर्माण के समय ध्यान में रखना है।

   (स) निदेशक सिद्धान्तों का विचार .... के संविधान से लिया गया है।

   (द) नीति निदेशक तत्वों का सम्बन्ध .... से है।

2. क्या आप यह मानते हैं कि यदि भारतीय संविधान राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को सम्मिलित नहीं करता तो यह लोकतन्त्र के बुनियादी सिद्धान्तों को प्रतिबिम्बित करने में असफल रहता। कारण बताएँ।

17.2.2 निदेशक तत्वों के प्रकार

यदि आप संविधान में दिए गए निदेशक सिद्धान्तों को पढ़ेंगे तो पाएँगे कि ये विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित हैं तों कुछ गांधीवादी विचारों से तथा कुछ विदेश नीति से सम्बन्धित हैं। संविधान द्वारा इनको विभिन्न श्रेणियों में नहीं बाँटा गया है, परन्तु बेहतर समझ के लिए हम उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं :

1. सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त;
2. गांधीवाद विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त;
3. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धित सिद्धान्त; और विविध सिद्धान्त।

सामाजिक तथा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र के लक्ष्यों को साकार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

भारत में बहुत से लोग सदियों से सामाजिक तथा आर्थिक असमानता से पीड़ित रहे हैं। विशेषतः निम्नलिखित सिद्धान्तों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना हैः

चित्र 17.1 सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ

1. राज्य द्वारा अपने लोगों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
2. राज्य द्वारा देश के भौतिक संसाधनों का सामान्य हित में न्यायसंगत वितरण किया जाना चाहिए।
3. राज्य द्वारा सम्पदा का वितरण इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे सम्पदा का केन्द्रीयकरण कुछ हाथों में न हो।
4. पुरूष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए।
5. राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए।
6. राज्य को उद्योगों के प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।
7. बच्चों और नवयुवकों की शोषण से रक्षा की जानी चाहिए। पुरूष, स्त्री तथा बच्चे आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसी नौकरियों एवं ऐसे रोजगार में न पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।
8. राज्य को लोगो के लिए (अ) काम का अधिकार (ब) शिक्षा का अधिकार (स) बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता जैसे मामले में राज्य सहायता प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए।
9. राज्य को कामगारों के लिए काम की मानवीय दशाएँ तथा महिलाओं के लिए प्रसूति राहत को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना चाहिए।

क्रिया-कलाप 17.1

नीचे दी गई स्थिति का अध्ययन कीजिए तथा उसके अनुसार दिए गए क्रिया-कलापों को कीजिए।

एक फैक्टरी है जिसमें स्त्री तथा पुरूष साथ-साथ काम कर रहे है तथा एक ही काम को समान समयावधि में कर रहे हैं। परन्तु मालिक स्त्रियों की तुलना में पुरूषों को अधिक वेतन देता है।

उपरोक्त मामले में जिस निदेशक तत्वों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है, उसको लिखिए।

....

....

एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र के सम्पादक को एक पत्र लिखिए कि यह घटना किस तरह से कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

....

....

....

....

(ब) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

गांधीवादी विचार अहिंसक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। स्वराज (स्व-शासन), सर्वोदय (सभी का कल्याण) स्वाबलम्बन (आत्मनिर्भरता) आदि गांधीवादी विचारधारा के मूल सिद्धान्त है। हम सब यह जानते हैं कि महात्मा गांधी स्वतन्त्रता आन्दोलन में अग्रणी थे। उनका दर्शन तथा उनके कार्यो ने केवल स्वतन्त्रता आन्दोलन का ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण का भी मार्गदर्शन किया। निम्नलिखित नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी विचारधारा प्रतिबिम्बित होती हैं :

1. राज्य समाज के कमजोर वर्गो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढावा देगा।
2. राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। इन पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दिया जाना चाहिए, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।
3. राज्य मादक पदार्थों तथा अन्य हानिकारक औषधियों आदि के सेवन को रोकने का प्रयास करेगा।
4. राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग को बढावा देने का प्रयास करेगा।
5. राज्य पशुधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाएगा तथा गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाएगा।

क्रिया-कलाप 17.2

1. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं कि लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। कम-से-कम किसी एक ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय शहरी निकाय

के कार्यालय में जाएँ और पता लगाएँ कि क्या ये प्रावधान पूरे हो रहे हैं। नीचे दी गई तालिका में अपनी टिप्पणी लिखिए :

पंचायत नगर निकाय कार्यालय में प्रतिनिधियों की कुल संख्या	महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या

2. किन्ही दो महिला प्रतिनिधियों से बात कीजिए तथा नीचे दी गई तालिका को भरिए।

	निर्वाचित प्रतिनिधि 1	निर्वाचित प्रतिनिधि 2
उनके द्वारा अपने क्षेत्र में लाए गए 3 सकारात्मक परिवर्तन	1. 2. 3.	1. 2. 3.
कार्य के दौरान उनके द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ	1. 2. 3.	1. 2. 3.

(स) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त

संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ ऐसे सिद्धान्तों का समावेश भी किया गया है जो हमारी विदेश नीति सम्बन्धी मामलों में हमें दिशा-निर्देश देते हैं। ये हैं :

1. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
2. राज्य अन्य राष्ट्रों के साथ न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का प्रयास करेगा।
3. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों के प्रति आदर भाव विकसित करेगा।
4. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा अर्थात् पारस्परिक समझौतों द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा।

(द) विविध सिद्धान्त

इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निदेशक तत्व ऐसे हैं जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। ये हैं :

1. राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा।

2. राज्य राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं के रखरखाव और संरक्षण के लिए कदम उठाएगा।
3. राज्य पूरे देश के सभी नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
4. राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए कदम उठाएगा।

पाठगत प्रश्न 17.3

1. राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों की प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख कीजिए।
2. निम्नांकित तालिका में दिए गए नीति निदेशक सिद्धान्तों को उनकी उचित श्रेणी के साथ मिलाइए।

क्र.सं.	निदेशक सिद्धान्त	श्रेणी
अ.	राज्य अपने लोगों के लिए आजीविका के पार्याप्त साधन सुनिश्चित करेगा	
ब.	राज्य न्याय पालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा	
स.	राज्य अन्य राष्ट्रो के साथ न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का प्रयास करेगा।	
द.	राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा।	
य.	पुरूष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए।	
र.	राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।	

17.3 राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार

जैसाकि आप जानते हैं, नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मूलाधिकारों का भी यही उद्देश्य है, परन्तु दोनों में कुछ मूलभूत अन्तर हैं।

प्रथम, नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय लागू नहीं करा सकते। इनके कार्यान्वयन के लिए सरकार पर कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं है। मूल अधिकार के पीछे न्यायालय की शक्ति है। नागरिकों को मूल अधिकारों के लिए मना नहीं किया जा सकता। ये उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायलयों द्वारा संरक्षित हैं।

द्वितीय, ये सिद्धान्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य को केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं। इस तरह की नीतियाँ लोककल्याणकारी राज्य को केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं। इस

तरह की नीतियाँ लोककल्याणकारी राज्य के उद्‌देश्य को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में हैं। मूल अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं तथा राज्य नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बाध्य है।

तीसरा, सविंधान में निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों के बाद स्थान दिया गया है। इसका अर्थ है कि मूल अधिकारों का महत्त्व निदेशक सिद्धान्तों से अधिक है।

लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के पीछे वैसा संवैधानिक समर्थन नहीं है, जैसा मूल अधिकारों के पीछे है, फिर भी निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं की जा सकती। निदेशक सिद्धान्तों के क्रियान्वयन से सरकार की विश्वसनीयता तथा लोकप्रियता बढ़ती है। ऐसा होने से सरकार को पुनः सत्ता पाने में मदद होती है। साथ ही, मूल अधिकार तथा निदेशक सिद्धान्तों के उद्‌देश्य एक समान ही हैं। ये एक नहीं बल्कि पूरक हैं। मौलिक अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतन्त्र को मूर्तरूप देते हैं वहीं निदेशक सिद्धान्त सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करते हैं। निदेशक सिद्धान्तों की असली ताकत सतर्क जनमत से उत्पन्न होती है। अधिकांश नागरिकों द्वारा समर्थित नीतियाँ सामान्यतः बड़े ही उत्साह के साथ कार्यान्वित की जाती हैं। कोई भी सरकार जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती है। हममें से प्रत्येक जनमत के वाहक हैं। अच्छा होगा यदि आप ऐसे निदेशक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं।

? क्या आप जानते हैं

शहजाद खान तथा सीमा धानू राजस्थान में जयपुर के निकट के एक गाँव में बाल पंचायत के नाम से जाने जाने वाले युवा लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हैं। इस समूह ने सामाजिक विकास के लिए उत्प्रेरक होने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। युवा लोगों का यह समूह विविध मुद्दों पर कार्य करता है जैसे सफाई, शिक्षा का अधिकार, उनके गाँव तथा पड़ोसी गाँव की लड़कियों के अधिकार आदि। वे बालश्रम को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके लिए उन्होंने परिवारों, पंचायतों तथा प्रखण्ड प्रशासन के साथ मिलकर नौकरी कर रहे बच्चों को वापस स्कूल भेजने में सहायता कर रहे हैं। हाल ही में, गाँव के बच्चों के जीवन के सम्बन्ध में शहजाद राजस्थान के मुख्यमन्त्री से भी मिला था।

इस उदाहरण से यह संकेत मिलता है कि हममें से प्रत्येक कोई आवाज उठा सकता है और समाज की बेहतरी के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने के लिए बाध्य कर सकता है।

17.4 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का कार्यान्वयन

आपकी यह जानने में रूचि हागी कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इन तत्वों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं। क्या आपने भारत के सभी राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एक विशाल कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान के विषय में सुना होगा। आपने भारतीय संसद् द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के विषय में भी सुना होगा। ये सब निदेशक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम हैं। कुछ राज्यों जैसे बिहार, मध्य

प्रदेश आदि ने पंचायतों में महिलाओं कि लिए 50 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित कर दी हैं। ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि यद्यपि निदेशक सिद्धान्तों के पीछे कानूनी बल नहीं है और राज्य के ऊपर इनके कार्यान्वयन के लिए कोई बन्धन नहीं है, तब भी सरकार द्वारा इन सिद्धान्तों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यान्वित किए गए कुछ सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :

- रोजगार के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय की जा चुकी है।
- स्त्री एवं पुरूष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सम्बन्धी अधिनियम बनाया जा चुका है।
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम (मा.गां.रा.ग्रा.का.) तथा स्वर्ण जयन्ति ग्राम रोजगार योजना इसके उदाहरण हैं।
- पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है तथा ये ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
- बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 86वाँ संविधान संशोधन किया गया तथा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कर इसे मूल अधिकार बनाया गया।
- बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है।
- गरीब, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं। संसद तथा विधान सभाओं में उनके लिए सीटें भी आरक्षित की गई है।
- महिलाओं को शोषण से मुक्त करने हेतु अनेक कानून बने हैं तथा कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- बयालिसवें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया नीति निदेशक तत्त्व जोड़ा गया। यह नीति निदेशक तत्त्व पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा के लिए निर्देश देता है। इससे संबंधित अनेकों कार्यक्रम जैसे टाइगर बचाओं प्रोजेक्ट, राइनों, हाथी आदि से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन किया जा रहा है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है।
- लघु उद्योग की स्थापना की जा रही है तथा कर में छूट देकर उन्हे संरक्षण दिया जा रहा है।
- हमारी विदेश नीति का अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के सिद्धान्तों के साथ सामंजस्य है तथा राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाए जा रहे हैं।
- भारतीय सरकार विश्व शान्ति का समर्थन करती है तथा इसके लिए प्रतिबद्ध है।

यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर इन निदेशक सिद्धान्तों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस दिशा में बहुत कार्य किया जा चुका है। परन्तु अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की समस्या तथा निरक्षता आदि जैसी समस्याएँ बरकरार हैं। निदेशक सिद्धान्तों की मूल भावना लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम भी आ रहे हैं। ऐसी कई चुनौतियाँ हैं, जिन्हें सुलझाना आवश्यक है।

क्रिया-कलाप 17.2

अपने राज्य में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे चार कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्र कीजिए। इस विषय में आप स्थानीय समाचार-पत्र, इन्टरनेट, अध्यापकों और जानकार वयस्क लोगों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.सं.	योजना का नाम	लागू होने की तारीख	राज्य/क्रेन्द्र सरकार द्वारा समर्थित
1.			
2.			
3.			
4.			

पाठगत प्रश्न 17.4

1. उन संविधान संशोधनों का उल्लेख करें जिनसे (अ) 6 से 14 वर्षो की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई (ब) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को सुनिश्चित किया गया।

2. नीचे दी गई घटनाओं के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों के लिए राज्य की नीति के कौन से निदेशक सिद्धान्त सरकार को मार्गदर्शित करेंगे:

	घटनाएँ	निदेशक सिद्धान्त
(अ)	बहुत ही कम वेतन पर एक 10 साल का लड़का एक होटल में बर्तन धोता है।	
(ब)	एक आठ साल की लड़की को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है।	
(स)	मादक द्रव्यों तथा हानिकारक औषधियों के बेचने को बढ़ावा दिया जा रहा है।	
(द)	ऐतिहासिक महत्त्व के स्मारकों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।	

आपने क्या सीखा

- कल्याणकारी राज्य में शासन व्यवस्था नागरिकों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा सम्पत्ति के न्यायसंगत वितरण के सिद्धान्तों पर आधारित होता है। यह वैसे लोगों के प्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्त्व का भी निर्वाह करता है, जो स्वयं अच्छे जीवन यापन के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यवस्था नहीं कर सकते।
- भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को लोगों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए शामिल किया गया है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता।
- परन्तु ये सिद्धान्त देश के शासन के लिए मूलभूत माने गए हैं। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे देश में एक न्यायसंगत समाज की स्थापना के लिए कानूनों का निर्माण करते समय इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखें।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (क) सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त, (ख) गांधीवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धान्त, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त और (घ) विविध सिद्धान्त।
- निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं, परन्तु दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।
- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इन निदेशक सिद्धान्तों को लागू किया जा रहा है, परन्तु कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

पाठांत प्रश्न

1. कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है? संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय क्यों किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा?
2. राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के क्या उद्देश्य हैं?
3. राज्य के नीति निदेशक तत्त्व मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न हैं? व्याख्या कीजिए।
4. ऐसे कौन-से नीति निदेशक तत्त्व हैं जो गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिम्बित करते हैं?
5. सामाजिक-आर्थिक विकास तथा समानता को बढ़ावा देने में निदेशक सिद्धान्त किस तरह सहायक हैं?

6. हाल ही में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शान्ति प्रक्रिया के एक अंग के रूप में परमाणुरहित और आण्विक विश्वास बहाली के लिए सचिव स्तरीयवार्ता हुई। यह वार्ता कौन-से निदेशक सिद्धान्त से सम्बन्धित है तथा कैसे?

7. ऐसे तीन राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के नाम लिखिए जिनका कार्यान्वयन किया जा चुका है।

नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोलू की उम्र 10 वर्ष की है। वह शहर आया है। उसकी देखभाल करना वाला यहाँ कोई नहीं है अतः वह कचरा इकट्ठा करने के काम में लग गया। वह स्थानीय अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर सोता है। वह किसी स्कूल में नहीं जाता तथा पेट भरने के लिए प्लास्टिक, विषाक्त अपशिष्ट तथा अस्पताल के कचरे आदि को उठाता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है तथा जीवन के लिए भी खतरनाक है। वह प्रतिदिन के 20 रूपए कमाता है। उसके पास किसी अन्य के बचे अस्वास्थ्यकर भोजन को खाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

(अ) भोलू की दशा के लिए कौन-से सम्भव कारण हो सकते हैं? किन्हीं दो कारणों को लिखिए।

(ब) भोलू जैसे बच्चों द्वारा सामना की जा रही परिस्थितियों से सम्बन्धित किन्हीं दो निदेशक सिद्धान्तों की सूची बनाइए।

(स) भोलू की परिस्थितियों के बारे में अपने दोस्तों तथा परिवारजनों से चर्चा कीजिए तथा भोलू की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कोई दो तरीके सुझाइए।

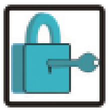

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

17.1

1. कल्याणकारी राज्य शासन व्यवस्था की एक ऐसी संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा तथा सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता तथा सम्पत्ति के उचित वितरण के सिद्धान्तों पर आधारित होता है।

2. जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो इसके सामने असंख्य समस्याएँ तथा चुनौतियाँ थीं। आर्थिक रूप से भारत की हालत अत्यन्त दयनीय थी। सामाजिक रूप से भारत में अनेकों समस्याएँ थीं। व्यापक सामाजिक असमानता थी तथा समाज के कमजोर वर्ग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे। संविधान निर्माता इन समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा।

3. महिलाएँ तथा दलित वर्ग।

17.2

1. (अ) कल्याणकारी

   (ब) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें

   (स) आयरलैण्ड

   (द) सामाजिक और आर्थिक अधिकार

2. हाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का मुख्य उद्देश्य ऐसी सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है जिनके अन्तर्गत सभी नागरिक गुणवत्ता युक्त जीवन बीता सकें।

17.3

1. हम राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं:

   (अ) सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त

   (ब) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

   (स) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त

   (द) विविध सिद्धान्त

2. (अ) सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त

   (ब) विविध सिद्धान्त

   (स) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त

   (द) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

   (य) सामाजिक और आर्थिक समानता ब़ढाने वाले सिद्धान्त

   (र) गांधीवादी विचारधारा से सम्बन्धित सिद्धान्त

17.4

1. (अ) 86वाँ संविधान संशोधन

   (ब) 42वाँ संविधान संशोधन

2. (अ) बच्चों एवं नवयुवकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

   (ब) राज्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए कदम उठाएगा।

   (स) राज्य मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों की खपत को रोकने के प्रयास करेगा।

   (द) राज्य ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा।